राजस्थान विधान सभा

षष्ठम् सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2011

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचनायें

ऊर्जा विभाग

(1) डॉ0 जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री ऊर्जा विभाग निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

1- अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनि/82 दिनांक 23.12.2010, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र तथा अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालना ढांचा) विनियम, 2010 विरचित किये गये हैं; एवं

2- अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनियम-83 दिनांक 31.1.2011, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग [परामर्शदाता (औ.) की नियुक्ति] विनियम, 2011 विरचित किये गये हैं।

उद्योग विभाग

(2) श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.14(5)उद्योग/1/2010 दिनांक 25.1.2011 जिसके द्वारा राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन नियम, 2011 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखेंगे।

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति, महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी :-

1- जयपुर स्थित विभिन्न थानों में स्थापित महिला डेस्क के आकस्मिक निरीक्षण से संबंधित महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का 19वां प्रतिवेदन; एवं

2- बाल भारती विशिष्ट मॉन्टेसरी स्कूल, गंगाशहर रोड़, बीकानेर में प्रशासक नियुक्त करने तथा निवासी कोकापुर, पुलिस थाना-सागवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में अपराधियों से सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने से संबंधित महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2010-2011 का 20वां प्रतिवेदन ।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

(1) श्री पवन दुग्गल, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

I- कच्ची बस्ती घड़साना-रावला को मण्डी विकास समिति, बीकानेर से लेकर ग्राम पंचायत को देने बाबत् ;

II- रावला व नाहरावाली को उप-तहसील बनाने बाबत् ; एवं

III - घड़साना-नाहरावाली में बालिका विद्यालय क्रमोन्नत व नया खोलने बाबत् ।

(2) श्री बाबूलाल खराड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे:-

I- विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम बाता से रेल्वे स्टेशन बाता के बीच 3 किलोमीटर की सड़क का डामरीकरण करने बाबत् ; एवं

II- ग्राम भगवानपुरा, ग्राम पंचायत इन्दरा चारणा एवं रायपुरीया ग्राम पंचायत वणदार में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने बाबत् ।

(3) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य विधान सभा, विधान सभा नगर, ग्राम धौलाई, जयपुर के समस्त निवासियों हेतु पत्रकार कॉलोनी में सप्लाई किये जा रहे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से पीने का पानी उपलब्ध कराने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(4) श्री जगसीराम, सदस्य विधान सभा साम्बरिया, भीलों की ढाणी, गुडा किरीयात व ओड़ा एवं गुडविवदा सोलकियान, कोटकी ढाणी, ग्राम पंचायत कोटसोलकियान के सातों गॉवों में बिजली पहुँचाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(5) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य विधान सभा कनवाड़ा गणेशजी से ग्राम सांखली तक डामर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करवाये जाने हेतु स्वीकृत राशि में बढ़ोतरी किये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

(6) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य विधान सभा अजमेर शहर के पुलिस थाना क्रिश्चयनगंज एवं गंज का पुनर्गठन करने तथा नागफणी नई सड़क क्षेत्र में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

5. वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

1. "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, 2011-2012 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।
2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क', 2011-2012 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।
3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख', 2011-2012 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।
4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।"

6. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(1) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011

(I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्या-16)

"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(2) राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2011

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्या-12)

(I) डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

"राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) अधिनियम, 1974 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(3) रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011

रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्या-8)

(I) डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

"राजस्थान राज्य में रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

7. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-2012

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

क्र.सं.	मांग संख्या
1.	16 - पुलिस
2.	17 - कारागार
3.	33 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे।)

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 21 मार्च, 2011